राजस्थान ग्रामीण परविार आजीवकिा ऋण योजना को मलिी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

10 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के सहकारति मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के परविारों के लयि 'राजस्थान ग्रामीण परविार आजीवकिा ऋण योजना' को लागू करने की मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बदिु

- राजस्थान ग्रामीण परविार आजीवकिा ऋण योजना में वर्ष 2022-23 में एक लाख परविारों को अकृषि कार्यों के लयि 2 हज़ार करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण दयिा जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में वगित 5 वर्षों से नविास कर रहे परविार इस ऋण के लयि पात्र होंगे। यह ऋण वाणज्यिकि बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेंस बैंकों के माध्यम से मलिेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लयि 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी।
- सहकारति मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि योजना में अन्य पात्रता मापदंडों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक तथा भूमहीन श्रमकि, जो कि किराएदार, मौखकि पट्टेदार, बटाईदार आदि के रूप में काश्त कर रहे हैं, के परविार भी पात्र होंगे। इसके अतरिक्ति ग्रामीण दस्तकार तथा अकृषि कार्यों में जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परविार के सदस्य भी पात्र होंगे।
- इसके साथ ही राजीवकिा के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यावसायकि समूहों के व्यक्तगित सदस्यों को सामूहकि गतविधियों के लयि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रतिसमूह अधकितम 10 सदस्यों को व्यक्तगित रूप से ऋण दयिा जाएगा एवं ऋण की अधकितम राशि 2 लाख रुपए होगी।
- उन्होंने बताया कि ऋण के लयि आवेदक का बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र अथवा ज़लि का नविासी होना ज़रूरी है तथा उसका आधार एवं जनाधार बना हो। परविार के सदस्य के पास कसिी भी लाईसेंसधारी बैंक से जारी कयिा हुआ कसिान कार्ड होना चाहयि। जनि परविारों के पास कसिान क्रेडटि कार्ड नहीं हो, उनको नए सदस्य के रूप में अकृषि कार्यों हेतु क्रेडटि कार्ड स्वीकृत कयिा जाएगा। आवेदक से कोई प्रोसेसगि फीस नहीं ली जाएगी।
- मंत्री आंजना ने बताया कि आवेदक को संपूर्ण ऋण साख सीमा के रूप में स्वीकृत कयिा जाएगा। साख सीमा राशि का आकलन व्यवसाय की पूंजीगत आवश्यकताओं, कार्यशील पूंजी तथा रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कयिा जाएगा। स्वीकृत साख सीमा का प्रतविर्ष नवीनीकरण करवाना होगा, अर्थात् एक वर्ष पूर्ण होने पर खाते में बकाया राशि जिमा करवाकर साख सीमा को अगले वर्ष के लयि नवीनीकृत करवाना होगा। इस योजना के लयि राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी नरिंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि वाणज्यिकि बैंकों द्वारा 55 हज़ार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36 हज़ार 741, सहकारी बैंकों द्वारा 5 हज़ार 949 तथा स्माल फाईनेंस बैंकों द्वारा 2 हज़ार 152 सहति कुल एक लाख ग्रामीण परविारों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्वीकृत ऋण राशि की अदायगी एक वर्ष की अवधि में करनी होगी तथा ऋणी आगामी वर्ष के लयि साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकेगा।
- ज़लिा कलेक्टर द्वारा ज़लि को आवंटति कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परविार का चयन कयिा जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का ज़लिा कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी पात्रता मापदंडों का परीक्षण कर ऋण आवेदन-पत्र संबंधति बैंक शाखा को भेजेगी। शाखा 15 दविस में ऋण स्वीकृति पर नरि्णय लेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-rural-family-livelihood-loan-scheme